प्रारूप – एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला – धमतरी (छ.ग.)

–:: अधिसूचना ::–

क्रमांक 7366 /भू–अर्जन/2017 धमतरी, दिनांक 24/07/2017

भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
धमतरी	मगरलोड	बकोरी	1.82 हेक्टेयर	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू–अर्जन, ग्राम – बकोरी, प्रभावित खसरा क्रमांक 328, 326, 291, 298, 299, 325, 538, 537, 539, 542, 540, 544, 560, 561, 345, 562, 667, 673/1, 674, 675, 456, 446, 445, 444, 442, 440, 436.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत मड़ेली में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	:	बकोरी जलाशय से 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू–अर्जन, ग्राम – बकोरी
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:	24
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	:	हॉ
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	:	हॉ
8	परियोजना की कुल लागत	:	रू. 2072.90 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	:	परियोजना से तहसील मगरलोड के ग्राम बकोरी, मड़ेली, सोनपैरी, बनियातोरा, भैंसमुड़ी एवं मगरलोड कुल 06 ग्रामों के 728 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल सवंर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	:	परियोजना से होने वाले सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहें हैं। भू–अर्जन कार्यवाही हेतु अपेक्षक निकाय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को रू. 30.20 लाख पूर्व में जमा किया गया है। अंतर की राशि मांग अनुसार जमा की जावेगी।
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	:	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

C.R. Prasanna

(डॉ. सी. आर. प्रसन्ना)
कलेक्टर जिला धमतरी
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग